

प्रेषक

निदेशक मत्स्य पालन विभाग, हरियाणा,
पंचकूला ।

सेवा में

महानिदेशक
सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग, हरियाणा
चण्डीगढ़ ।

यादि क्रमांक : वि०स०-1-2026 / 384
पंचकूला दिनांक : 09/11/2026

विषय:- वर्ष 2026-27 के अधिसूचित पानियों की ई-निलामी सम्बन्धित विज्ञापन ।

उपरोक्त विषय पर आपसे अनुरोध है कि प्रत्येक वर्ष की भांति वर्ष 2026-27 में हरियाणा राज्य के अधिसूचित पानियों, नदियों, नहरों तथा झेलों में मछली पकड़ने के अधिकारों की ई-निलामी सम्बन्धित नोटिस (हिन्दी व अंग्रेजी) भाषा की प्रतियां कम्प्यूटर द्वारा टाईप करवाकर आपको भेजी जाती हैं। कृपया इस निलामी सम्बन्धित विज्ञापन को किसी दो हिन्दी तथा किसी दो अंग्रेजी भाषा के हरियाणा तथा दिल्ली में प्रचलित समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने की कृपा करें, ताकि निलामी सम्बन्धित प्रचार अधिक से अधिक हो सके।

संलग्न:- ई-निलामी नोटिस (हिन्दी व अंग्रेजी)

भाषा की प्रतियां।

उप-निदेशक मत्स्य (मु०)

कृते: निदेशक मत्स्य पालन विभाग हरियाणा,
पंचकूला।

पृ० क्रमांक:-वि०स०-1-2026 / 385

दिनांक:- 09/11/2026

ई-निलामी नोटिस की हिन्दी व अंग्रेजी की एक-एक प्रति प्रोग्रामर को भेजते हुए लिखा जाता है कि निलामी नोटिस को इस विभाग की वेबसाइट www.harfish.gov.in पर तथा DIPR portal पर डालने का कष्ट करें।

उप-निदेशक मत्स्य (मु०)

कृते: निदेशक मत्स्य पालन विभाग, हरियाणा,
पंचकूला।

मत्स्य पालन विभाग, हरियाणा

ई- निलामी नोटिस

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि हरियाणा राज्य के करनाल जिला के अधिसूचित पानियों, नदियों, नहरों तथा झरनों में वर्ष 2026-27 (01-11-2026 से 31-08-2027 तक) के लिए मछली पकड़ने के अधिकारों की ई-निलामी दिनांक 22-10-2026 को प्रातः 9:00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक Online e-Procurement portal www.eauction.gov.in पर की जायेगी।

इच्छुक बोलीदाता को ई-निलामी शुरू होने से पूर्व निम्नलिखित दिनांक अनुसार धरोहर राशि सांय 4.00 बजे तक जिले के सामने दर्शाई गई धरोहर राशि के Online जमा करवानी होगी।

निलामी की तिथि	धरोहर राशि का ड्राफ्ट जमा करवाने की तिथि
22-10-2026	20-10-2026 सांय 4.00 बजे तक
29-10-2026	27-10-2026 सांय 4.00 बजे तक

बोलीदाता को 1180/-रुपये धनराशि बतौर e-service fee (Non Refundable), offline in shape of DD in favour of **“Society for IT initiative of fund for E-Governance, Payable at Chandigarh”** जमा करवानी होगी। सफल बोलीदाता के अतिरिक्त अन्य सभी बोली दाताओं की बोली की धरोहर राशि बोली समाप्त होने पर संबंधित के बैंक खाते में वापिस कर दी जायेगी। जिस बोलीदाता की बोली मंजूर होगी, उस सफल बोलीदाता को ठेके की पूरी धनराशि अथवा ठेके की कुल बोली का 1/3 भाग के बराबर धनराशि तथा ठेके की कुल धनराशि का 5% भाग के बराबर सिक्योरिटी उसी दिन (ई-निलामी के दिन) RTGS/NEFT के माध्यम से सम्बन्धित जिला मत्स्य अधिकारी के बैंक खाते में जमा करवानी होगी तथा 2/3 हिस्से की धनराशि ई-निलामी की तिथि से 30 (तीस) दिन के अन्दर-अन्दर जमा करवानी होगी। ऐसा न करने पर बोलीदाता द्वारा मौके पर जमा करवाई गई 1/3 हिस्से की धनराशि, धरोहर राशि तथा 5 प्रतिशत जमा करवाई गई केश सिक्योरिटी जब्त कर ली जायेगी।

ई-निलामी की शर्तें व अन्य विवरण **Online e-procurement portal www.eauction.gov.in** तथा विभागीय **website www.harfish.gov.in** पर देखी जा सकती हैं तथा किसी भी कार्य दिवस पर सम्बन्धित जिला में जिला मत्स्य अधिकारी/मण्डल के उप-निदेशक मत्स्य या निदेशक मत्स्य पालन विभाग, हरियाणा, पंचकूला के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकती है।

यदि जिला करनाल की मछली पकड़ने के अधिकारों की ई-निलामी दिनांक 22-10-2026 में पूर्ण नहीं होगी, तदानुसार उनकी ई-निलामी पुनः Online दिनांक 29-10-2026, को प्रातः 9:00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक की जायेगी।

ऑनलाईन ई-निलामी से संबंधित जानकारी के लिए **Haryana Government e-procurement System** के दूरभाष नं0 0120-4001002 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

हस्ता/-

निदेशक मत्स्य पालन विभाग, हरियाणा,
बेज नं0 31-32, सैक्टर-4,
पंचकूला।

FISHERIES DEPARTMENT HARYANA

e- auction Notice

It is for the information to General Public that e-auction of Fishing Rights of notified waters, rivers, canals and drains of Karnal district of Haryana State for the Year 2026-27 (01-11-2026 to 31-08-2027) shall be put to public through e-auction on 22-10-2026 from 9:00 AM to 12:00 Noon online at the e-Procurement portal www.eauction.gov.in.

Before start of the e-auction the interested bidders shall have to deposit earnest money as shown against Karnal District- on dated as given below:-

Date of Auction	Date to Deposit Earnest money
22-10-2026	20-10-2026 till 4.00 PM
29-10-2026	27-10-2026 till 4.00 PM

The Bidders have to deposit Rs.1180/- as non refundable e- service fee offline in shape of DD in favour of **“Society for IT initiative of fund for E-Governance, Payable at Chandigarh”** to take part in the e- auction. Upon the conclusion of the bidding process, the earnest money deposits of all bidders other than the successful bidder will be refunded to their respective bank accounts.

The successful bidders will have to deposit online/through RTGS/NEFT the full amount of contract or 1/3rd of auction amount, and 5% of the auction amount as security in the bank account of the concerned District Fisheries Officers, on the same day of e-auction and the remaining amount within 30 days from the date of the e-auction. In case of failure to deposit the remaining 2/3rd amount by the bidder within the stipulated period of 30 days, the 1/3rd amount deposited by the bidder at the time of e-auction and 5% of the auction amount as security and earnest money shall be forfeited.

Other terms and conditions can be seen at the e-Procurement portal www.eauction.gov.in and Haryana Fisheries Departmental website www.harfish.gov.in and details can also be procured from the office of the District Fisheries Officer of the District or Deputy Director Fisheries at Division level or Director Fisheries Haryana, Panchkula.

If e-auction of Karnal District will not be completed on 22-10-2026 shall again be held on 29-10-2026 from 9:00 AM to 12:00 Noon respectively.

For any information regarding e-auction Haryana Government e-Procurement System can be contacted at Phone No. 0120-4001002.

Sd/

Director Fisheries Department Haryana,
Bays. No. 31-32, Sector 4,
Panchkula.

Haryana Government
Department of Fisheries
Bays No. 31-32, Sector-4, Panchkula
E-Auction Notice

No.DA-I/e-Auction/PKL/2026 / 25101

Dated: 09/X/2026

It is hereby notified for the information of the General Public that e- auction of Fishing Rights of Notified Waters of District Karnal, Haryana State, (as per schedule of Haryana Fisheries Rules-1996) as per the Punjab and Haryana, High court, Chandigarh order dated 07-10-2026, shall be put to open public auction through the process of e-auction. The e-auction will be held on **22-10-2026 at 9.00 AM to 12:00 Noon** and bids can be submitted from 09:00 AM to 12:00 Noon. The important instructions for participation in the online e-auction are as under:-

The bids shall be made online on the website www.eauction.gov.in

The intending bidders before participation in the e-auction/ bidding process will be required to create **their user account online by selecting the option of e-auction from discipline column and obtain user-id /password** on the website www.eauction.gov.in

A. (If already created user account, this step needs to be skipped). For necessary instructions regarding participation in e-auction of Fishing Rights of Notified waters of the Haryana State, please visit the aforementioned website and click on the available link "How to...?" at the Home Page.

After getting the **user account created**, the prospective/intending bidders shall upload following documents (in PDF format not exceeding limit of 10 MB for individual document) along with deposition of **earnest money (EMD)** in shape offline Demand Draft in favour of Director Fisheries Haryana in order to participate in the e-auction latest by **20-10-2026 till 04:00 PM** anytime after the publication of this document.

The details of documents to be uploaded are as under:-

- (i) Copy of the **Partnership deed or Article of Association (in case of Fisherman Cooperative Society registered under the law relating to the registration of Cooperative Societies)**, or an affidavit (in case of sole

proprietor). No transfer or addition or deletion of the partners/Directors will be permissible before execution of the agreement;

(ii) A copy of authority letter by the Partnership Firms or **Copy of resolution** of Fisherman Co- operative Society in favour of the person who shall be offering the bids online for such intending agency.

(iii) Earnest Money will have to be deposited, in account of the District Fisheries Officer, Karnal for which bid has to be made, shown in the **Table-'A'** against Karnal District, through offline payment in due course of time i.e. up to 20-10-2026 till 04:00 PM. In case the intended bidder fails to pay offline Demand Draft of EMD fee under the stipulated time frame will not be allowed to enter in e-auction of Fishing Rights of Notified waters.

Note: - Any document uploaded as per (i), (ii) and (iii) above at later stage/ after e-auction found to be wrong/ false shall invite revocation /cancellation of bid and forfeiture of amount deposited at the time of e-auction apart from debarring the bidder from participation in any subsequent bids for a period of 5 years.

1. Any bidder interested to participate in the e-auction can submit his bid(s) from date 22-10-2026 from 09:00 am to 12:00 Noon.

2. However, in case any bid in respect of Karnal District is received 10 minutes prior to time fixed for closure for the bids i.e. bid received between 11:50 AM to 12 noon, then the time for closure of the e-auction would be extended automatically by 10 minutes, so that equal opportunity is made available to the persons participating in the bidding process. Such extensions of ten minutes will continue till bids are received within next 10 minutes of last bid for Karnal District, otherwise the same would get concluded.

3. **The minimum bid incremental value during the initial time provided (i.e. from 9:00 AM to upto 12:00 noon) will be multiple of Rs.1000 (As shown in Table-'A' District). However, the increment during extended period (22-10-2026 from 12:00 noon onwards) will be multiple of Rs. 2000/- (Rs. Two thousand) instead of Rs. 1000/- (Rs. One Thousand).**

4. The date for e-auction for Karnal District as per Table-'A' will be 22/10/2026. E-auction of Karnal district which will not be completed on 22-10-2026 shall again be held on 29-10-2026 accordingly.

The details of the Reserve Price, Earnest Money, Detail of Bank Account for Deposition of 1/3rd amount of e-auction and 5% of contract amount as Security and other terms and conditions of the e-auction of Fishing Rights of Notified water of Haryana State for Karnal district is as tabulated below:-

District Wise detail (Table –‘A’):-

Sr. No.	Name of District	Reserve Price (in Rs.)	Earnest Money (in Rs.)	Detail of Bank Account for Deposition of 1/3 rd of e-auction amount and 5% of contract amount as Security
1.	Karnal	20,52,697/-	2,05,270/	District Fisheries Officer Karnal Bank Name: Bank of Baroda Bank IFSC Code:BARB0MPCKAR Bank MICR Code:132012105 Bank Address SCO No-8 Sec-14 Urban Estate Maharana Pratap Chowk Meerut Road Karnal Bank A/C No.:57820100005544 Mobile No: 7206203638 Unique Code:LRBCUY

E-auction की शर्तें :-

1. अधिसूचित पानियों की निलामी की समय जिला करनाल के लिए अवधि 01.11.2026 से 31.08.2027 तक होगी।
2. मत्स्य नियमावली 1996 के अधीन हरियाणा राज्य के अधिसूचित पानियों में मछली पकड़ने के अधिकारों की ई-निलामी प्रधानाचार्य, जलकृषि अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, हिसार की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा e-auction के माध्यम से 22-10-2026 को करवाई जायेगी।
3. मछली ठेके निलाम करने वाली समिति की अध्यक्षता प्रधानाचार्य, जलकृषि अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, हिसार करेंगे। निलामी समिति की सिफारिश के आधार पर निरीक्षण उपरान्त निलामी की मंजूरी निदेशक, मत्स्य पालन विभाग हरियाणा, पंचकुला द्वारा दी जायेगी।
4. सरकारी पानी जो निलाम किये जा रहे हैं, में कोई व्यक्ति बिना लाईसेंस के मछली नहीं पकड़ सकता। लाईसेंस, सम्बन्धित जिले का अधिकारी देगा।
5. निलामी करने वाला अधिकारी अधिक से अधिक बोली मंजूर करने का पाबन्द नहीं होगा।
6. निलामी करने वाला अधिकारी जिला के पानियों को एक या एक से अधिक भागों में निलाम करने का अधिकार रखता है।

7. अगर अधिक से अधिक बोली किसी फिशरमैन को—ओप्रेटिव सोसाईटी, जो कि मौजूदा कानून के मुताबिक मन्जूर सुदा है, की है तो उससे ज्यादा बोली वही मन्जूर होगी जो सोसाईटी की बोली से 10 प्रतिशत अधिक होगी। अगर वही सबसे अधिक बोली पिछले तीन सालों की औसत से कम होगी तो अधिकारी उस अधिक से अधिक बोली को या फिशरमैन को—ओप्रेटिव सोसाईटी की बोली को मन्जूर करने का पाबन्द नहीं होगा और ठेका दोबारा निलाम करने का अधिकारी होगा।
8. जिस ठेकेदार की बोली मन्जूर होगी, उस सफल बोलीदाता को ठेके की पूर्ण धनराशि मौके पर जमा करवानी होगी या ठेके की कुल बोली का $1/3$ भाग तथा कुल बोली की 5 प्रतिशत राशि धरोहर राशि के रूप में मौके पर जमा करवानी होगी, शेष $2/3$ हिस्से की राशि निलामी की तिथि से 30 दिन के अन्दर—2 जमा करवानी होगी। ऐसा न करने पर बोलीदाता द्वारा मौके पर जमा करवाई गई $1/3$ हिस्से की धनराशि तथा 5 प्रतिशत जमा करवाई गई कैश सिक्योरिटी जब्त कर ली जायेगी। यदि उच्चतम बोली की धनराशि 50,000/—रु० से कम है तो पूरी धनराशि का भुगतान मौके पर ही करना होगा। (नोट:— उक्त वर्णित धनराशि टेबल—ए में दर्शाए गए विवरणानुसार सम्बन्धित जिला अधिकारी के खाता संख्या में RTGS/NEFT के माध्यम से Online जमा करवानी होगी।)
9. यदि लाईसैंसदार इन कानूनों में से या लाईसैंस की किसी शर्त को तोड़ता है तो कानूनी कार्यवाही के अलावा उसकी जमानत की रकम या कुछ भाग, जो भी लाईसैंस जारी करने वाला अधिकारी ठीक समझे, जब्त कर लिया जायेगा। यदि लाईसैंस रद्द नहीं किया जाता तो ठेकेदार जमानत जब्त करने की सूचना लाईसैंस जारी करने वाले अधिकारी से मिलते ही जमानत की रकम या उसका जब्त किया गया भाग तुरन्त जमा करवाकर जमानत की रकम पूरी करेगा।
10. ठेकेदार द्वारा निलामी की पूर्ण राशि जमा करवाने तथा इकरारनामा देने पर फार्म (बी) पर लाईसैंस जारी कर दिया जायेगा।
11. लाईसैंस या ठेके की अवधि कानून के अर्न्तगत एक सितम्बर से अगले वर्ष की 31 अगस्त तक होगी।
12. लाईसैंसदार या एजेंट या परमिटदार एक जुलाई से 31 अगस्त तक बन्दी के मौसम में बन्सी डोरी और हाथ की डोरी के अलावा किसी भी साधन से मछली नहीं पकड़ेगा।
13. लाईसैंसदार खुद या उसके नुमाईन्दे जिनके पास सम्बन्धित जिला मत्स्य अधिकारी के हस्ताक्षर वाले परमिट होंगे, वही मछली पकड़ने का हकदार होगा।
14. ठेकेदार स्वयं या उसके एजेंट का नुमाईदा उन पानियों में जहां शिकार बन्द किया गया है, मछली नहीं पकड़ेगा। इसके साथ हरियाणा मत्स्य नियमावली, 1996 की धारा 10 के अर्न्तगत यमुनानगर के निम्नलिखित पानियों में मछली पकड़ने की पाबन्दी होगी :—

(क) यमुना नदी : हथिनी कुण्ड से गांव कलैसर तक।

(ख) पश्चिमी यमुना नहर : गांव जैधरी दादुपुर हैड वर्क्स आर०डी० 51900 से 66347 तक मुख्य लाईन अपर तथा दादुपुर हैड वर्क्स से गांव अमादलपुर तक आर०डी० 0 से 32600 तक मुख्य लाईन लोअर

15. लाईसैंसदार या उसके एजेंट का नुमाईदा नीचे लिखे हुए मछली पकड़ने के साधनों के इलावा किसी ओर तरीके से मछली नहीं पकड़ सकते हैं।
- (अ) सभी प्रकार के जाल जिनमें खानों (घेरों) की एक गांठ से दूसरी गांठ तक का अन्तर चार सैंटीमीटर हो या चारों ओर का घेरा 16 सैंटीमीटर हो।
- (ब) कुण्डियों वाली लाईन।
- (स) बन्सी डोरी।
- (द) हाथ धागा कुण्डियां।
16. ठेकेदार पुलो के उपर और नीचे 100 मीटर तक सिवाए कुण्डी डोरी के किसी ओर साधन से शिकार नहीं कर सकता।
17. ठेकेदार यमुना नदी के रेलवे पुल जगाधरी के 200 मीटर उपर व नीचे तथा घग्गर नदी के पुल से 200 मीटर उपर व नीचे सिवाए बन्सी डोरी के किसी भी अन्य साधन से मछली नहीं पकड़ सकता।
18. ठेकेदार, उसके एजेंट या नुमाईदें निलाम हुए पानी में कोई स्थाई ईजनों का मछली पकड़ने के लिये न तो निर्माण करेगा और न ही करवायेगा। महा-जाल, मछली की रुकावट के लिये नहीं लगायेगा।
19. ठेकेदार जहर डाल कर, बिजली लगाकर, बारूद मारकर या अन्य जहरीली औषधि का, पटाखे वाली चीज द्वारा मछली नहीं पकड़ेगा और न ही वह अपने एजेंट व नुमाईदें को पकड़ने देगा।
20. लाईसैंसदार को अपना लाईसैंस उच्च अधिकारियों को दिखाना होगा, अन्यथा अधिकारी ऐसे व्यक्ति को पंजाब मत्स्य क्षेत्र अधिनियम 1914 की धारा 6 के अधीन बिना वारन्ट के गिरफ्तार करने के लिये सशक्त है।
21. लाईसैंसदार, उसके एजेंट या नुमाईदें 30 सैंटीमीटर से कम लम्बी कतला, राहू, मिरगल, कलवास, माहशेर, सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प व कामन कार्प किस्म की कोई मछली नहीं पकड़ेगा, यदि अन्जाने में पकड़ ली है तो तत्काल सार्वजनिक पानी में जिवित वापिस छोड़ेगा।
22. ठेकेदार, निदेशक मत्स्य पालन विभाग, हरियाणा से पूर्व प्राप्त स्वीकृति के बिना किसी के नाम ठेका तबदील नहीं कर सकता है।
23. ठेकेदार को एक परमिट रजिस्टर रखना होगा, जिसमें जिन व्यक्तियों को परमिट दिया गया है, उनके नाम पते दर्ज करने होंगे।
24. लाईसैंसदार को एक रजिस्टर रखना होगा जिसमें पकड़ी गई मछली, बेची गई मछली का वजन दर्ज करना होगा। जिन साधनों द्वारा मछली पकड़ी गई हो, वह दर्ज करना होगा तथा जिस किस्म की मछलियां हो और जहाँ से पकड़ी गई हो, दर्ज करना होगा। मछलियों के थोक व प्रचून भाव भी दर्ज करने होंगे।
25. ठेकेदार एक मासिक रिपोर्ट प्रत्येक माह की 5 तारीख तक सम्बन्धित जिला मत्स्य अधिकारी को भेजेगा, जिसमें पिछले पैरा में दी गई सारी सूचना होगी। अगर ठेकेदार रिपोर्ट निश्चित

- समय पर नहीं भेजता है, तो 10/- रू0 प्रतिदिन के हिसाब से 10 दिन तक जुर्माना वसूल किया जायेगा। यदि वह दर्शाई गई अवधि के अन्दर रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है, तो उसका लाईसैंस रद्द किया जा सकता है।
26. ठेकेदार उस मछली पर कमीशन नहीं लेगा जो मछली विभाग उसको बेचने के लिये देगा।
 27. यदि मछली ठेकेदार तथा उसका एजेंट अथवा उसका नामजद व्यक्ति नियमों में किसी प्रकार के उल्लंघन के सम्बन्ध में, जो उसके ध्यान में आता है, उसकी सूचना ईलाके के तहसीलदार या उपायुक्त तथा विभाग के अधिकारी को देने के लिये बाध्य होगा।
 28. ठेकेदार सरकार से किसी प्रकार का कोई भी मुआवजा, पानी गन्दा होने, बाढ़ के आ जाने या कीमतों के घट जाने या कानूनी कार्यवाही करने के कारण या किसी अन्य कारण से नहीं ले सकता।
 29. ठेकेदार किसी ऐसे नुकसान के लिये मुआवजे का दावा करने का हकदार नहीं होगा जो उसे इन नियमों के किसी उपबन्ध अथवा उसकी अनुज्ञप्ति के किसी निबन्धन के उल्लंघन के लिये मत्स्य पालन विभाग के किसी कर्मचारी/अधिकारी द्वारा उसके विरुद्ध की गई कार्यवाही के कारण हुआ हो।
 30. निदेशक, मत्स्य पालन विभाग हरियाणा का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी मछली के हिसाब-किताब की जांच-पड़ताल के लिये ठेकेदार या मछली पकड़ने, स्टोर करने या मछली बेचने की जगह में दाखिल हो सकता है और रिकार्ड देख सकता है।
 31. कानून के विरुद्ध मछली पकड़ने पर ठेकेदार का तमाम मछली पकड़ने का सामान जब्त किया जा सकता है और नजदीकी पुलिस थाने में ले जाया जा सकता है तथा पकड़ी गई मछली जब्त करके निलाम की जा सकती है।
 32. यदि ठेकेदार या उसका एजेंट का नुमाईन्दा इन कानूनों में से किसी को तोड़ता है या लाईसैंस की किसी शर्त को तोड़ता है, तो मत्स्य विभाग द्वारा कानून के अधीन कार्यवाही करने के अतिरिक्त उसका लाईसैंस भी रद्द किया जा सकता है। इस हालात में ठेका दोबारा निलाम किया जा सकता है और लाईसैंसदार को पुनः निलाम करने का खर्चा तथा जो घाटा सरकार को होगा, देना पड़ेगा। लाईसैंस रद्द होने की हालात में जारी किये गये परमिट भी रद्द समझे जायेंगे।
 33. लाईसैंस जारी करने वाला अधिकारी निलाम किये हुए पानियों में बन्सी डोरी के लाईसैंस जारी कर सकता है।

इन लाईसैंसों की फीस निम्न प्रकार होगी:-

1. एक वर्ष के लिये	100/-रू0
2. एक माह के लिये	50/-रू0
3. एक सप्ताह के लिये	25/-रू0
4. दैनिक	5/-रू0

34. विभाग निलाम किये हुये पानियों में से किसी भी साईज की मछली रिसर्च के लिये, बढ़ोतरी के लिये किसी भी समय और किसी भी साधन से पकड़ सकता है। ठेकेदार इसके लिये कोई भी मुआवजा नहीं ले सकता।

35. यदि अधिसूचित पानियों में कोई विदेशी मागूर मछली पाई जाती है तो ठेकेदार को उसे मत्स्य विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों के सामने नष्ट करना होगा।
36. अनुसूचित जाति से सम्बन्धित सफल बोलीदाता को अधिसूचित पानियों में मछली पकड़ने के अधिकारों की प्राप्ति पर स्वीकृत बोली के 50 प्रतिशत की दर से या अधिकतम सीमा 5,00,000/-रु० जो भी कम हो, कि वित्तीय सहायता अनुदान के रूप में प्रदान करने का प्रावधान है। उस सफल बोलीदात के पास अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, फ़ैमिली आईडी0, राशन कार्ड/पैन कार्ड व हरियाणा का निवासी होना जरूरी है।
37. यमुना नदी में मछली पकड़ने के अधिकार के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि यमुना नदी का फैलाव पड़ोसी राज्य (उत्तर प्रदेश) में मछली पकड़ने पर रोकने के लिये हरियाणा सरकार/मत्स्य विभाग की जिम्मेवारी नहीं होगी ना ही मत्स्य विभाग हरियाणा इस सम्बन्ध में कोई मुआवजा देगा।
38. राज्य के अधिसूचित पानियों में नदियां, नहरें, नालें, झीलें यानि हरियाणा नियमावली, 1996 में नियम-1(2) के तहत दी गई पानियों की अनुसूची के अलावा कोई जल संसाधन शामिल नहीं है।
39. प्यूटी व 1000/-रु० प्रति केस रजिस्ट्रेशन फीस के साथ विभाग से करारनामा करना होगा।
40. उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त प्रत्येक ठेकेदार को हरियाणा मत्स्य नियमावली 1996 में दर्शाई गई शर्तों की भी अनुपालना करनी होगी।
41. निलामी मे भाग लेने वाले सभी ठेकेदार सबसे उंची बोली Online देख सकते है सबसे उंची बोली देने वाले को उनके registered email/Mobile Number/SMS द्वारा सूचित कर दिया जाएगा।
43. जी०एस०टी० नियमानुसार लागू होगा।
44. हालांकि e-auction का विस्तृत वर्णन दिए जाने बारे सावधानी बरती गई है फिर भी अनजाने मे किसी मानवीय भूल के कारण हुई गलती को निलामी के बाद भी, लेकिन अनुबन्ध से पहले ठीक कर दिया जाएगा।
45. निलामी प्राधिकारी बिना कोई कारण बताए निलामी करने/निलामी रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

निदेशक मत्स्य पालन विभाग हरियाणा

पंचकूला

9/11/26